झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

आर्विट्रेशन अपील संख्या–03 / 2013
के साथ
आर्विट्रेशन अपील संख्या–04 / 2013
के साथ
आर्विट्रेशन अपील संख्या–05 / 2013

झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, इंजीनियरिंग भवन, धुर्वा, रांची
..... अपीलार्थी (सभी अपीलो में)

बनाम्

1. कॉर्पोरेशन बैंक, हैदरगुआ, हैदराबाद, आंध्रप्रदेश
2. आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड, रेस कोरस सर्कल, वडोदरा, गुजरात
3. आई0वी0आर0सी0एल0 लिमिटेड, हैदराबाद, आंध्रप्रदेश

..... प्रतिवादीगण (सभी अपीलो में)

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री डी0एन0 पटेल**

अपीलार्थी के लिए : मेसर्स आर0पी0 भट्ट (वरिष्ठ अधिवक्ता), अजीत कुमार (वरिष्ठ अधिवक्ता), मोहित कुमार शाह, नवीन कुमार, अमित सिन्हा, अधिवक्तागण

अपीलार्थियों के लिए : मेसर्स राजीव रंजन (वरिष्ठ अधिवक्ता), प्रत्यूष कुमार, गणेश पाठक, अशोक कुमार यादव, अमित कुमार सिन्हा, राहुल साहू, अधिवक्तागण।

18 / दिनांकः25 नवंबर, 2016

डी0 एन0 पटेल, न्याया0 के अनुसार

1. इन तीन मध्यस्थता अपीलों को एकल मध्यस्थ द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2013 को पारित आदेश के खिलाफ दाखिल की गई है, जो अपीलों के ज्ञापन के साथ अनुलग्नक–17 के रूप में संलग्न है। इन मध्यस्थता अपीलों में अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई प्रमुख आपत्ति यह है कि प्रतिवादीगण द्वारा दी

गई बैंक गारंटी के भुनाने पर रोक लगा दी गई है। इन मध्यस्थता अपीलों में पारित दिनांक 22 मार्च, 2013 के आदेश में बैंक गारंटी के विवरण का उल्लेख किया गया है। अंततः, इस आशय का आदेश पारित किया गया कि उक्त राशि को राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलग–अलग बैंक खातों में जमा किया जाना था और इस अपीलकर्ता को इस न्यायालय की अनुमति के बिना राशि निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी और इस आशय का शपथ पत्र भी झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जिसे अब झारखण्ड ऊर्जा विकास निगल लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) के अध्यक्ष द्वारा भी शपथ पत्र दायर किया जाना था और उक्त शपथ पत्र झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा दायर भी किया गया है।

2. दोनों पक्षों के वकीलों ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया कि जिस मुद्दे के लिए एकल/मध्यस्थ की नियुक्ति की गई थी, जो पक्षों के बीच हुए समझौते के मध्यस्थता खंड–2 से थोड़ा हटकर अब इसे ठीक कर दिया गया है और अब मध्यस्थ न्यायाधिकरण को नियुक्त कर दिया गया है और इन मध्यस्थता अपीलों के पक्षों के बीच विवादों को समाप्त कर दिया गया है, जो कि एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष था और कुछ और विवाद भी उठाए गए हैं जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित हैं। इसलिए, दोनों पक्षों के वकीलों ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को निर्देश दिया जाए कि वह पक्षकारों के बीच विवादों को जल्द से जल्द और व्यावहारिक रूप से निर्णय लेकर इन मध्यस्थता अपीलों का निपटारा करें और इस अपीलकर्ता द्वारा भुनाई गई और एक अलग खाते में जमा की गई राशि, राष्ट्रीयकृत बैंकों के उक्त बैंक खाते में जमा रहेगी और मध्यस्थता न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना राशि नहीं निकाली जाएगी। राशि की किसी भी निकासी, आंशिक या संपूर्ण, जिसे अपीलकर्ता द्वारा बैंक गारंटी से भुनाया गया है, के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया जाएगा।

3. विद्वान एकमात्र मध्यस्थ अर्थात श्री आर0एस0 महलाहा के समक्ष शुरू की गई कार्यवाही को मुख्य रूप से इस कारण से समाप्त कर दिया जाता है कि एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष संदर्भित मुद्दा

अब मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष पहले से ही लंबित है और उक्त नियुक्ति दिनांक 31.01.2007 के समझौते के खण्ड संख्या 47 और 48 दिन से विचलन में की गई थी, जो कि अनुलग्नक–2 के रूप में संलग्न है।

4. इन मध्यस्थता अपीलों में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में की गई टिप्पणी विद्वान मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष मामले पर बहस करते समय प्रतिवादीगण के रास्ते में नहीं आएगी और विद्वान मध्यस्थता न्यायाधिकरण मामले की योग्यता और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले का फैसला करेगा।

5. दोनों पक्षों के वकीलों ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया है कि वे विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई में सहयोग करेंगे और वे किसी भी अनावश्यक स्थगन के लिए नहीं कहेंगे।

6. इन मध्यस्थता अपीलों का निपटारा इन टिप्पणियों के साथ किया जाता है।

(डी0 एन0 पटेल, न्याया0)